निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर, उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं. – 54/20

दायर तारीख – 14-9-20

किशन पिता नाथु जी जाति मीणा नि. लाला खेड़ी (प्रार्थी)

बनाम

1 गलाजी पिता खातिया जाति मीणा
2. मांगीलाल पिता खातिया जाति मीणा
3. रामचन्द्र पिता खातिया जाति मीणा
4. प्रभुलाल पिता खातिया जाति मीणा

सभी नि. लाला खेड़ी

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

1. श्री राजेन्द्र सिंह झाला ; अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हर्षवर्धन सिंह ; अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांक –

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा-188 आर.टी. एक्ट न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर रखा है। मौजा लाला खेड़ी प. ह. मन्दुण्डला की खाता सं. 13 आ. नं. 122 रकबा 1.10 है., आ. नं. 273 रकबा 2.00 है. कुल किता 02 कुल रकबा 3.10 हैक्टर प्रार्थी के कब्जे काश्त की है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को जबरन हड़पने की नीयत से प्रार्थी जान से मारने व गांव से भाग जाने की एलानिया धमकियां देते है। दिनांक 17.6.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजियात पर जबरन प्रवेश कर हकाई-जुताई करने पर

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

मना किया तो लड़ाई-झगड़े पर उतारू हो गये। इस संबंध में रिपोर्ट उसी दिन पुलिस थाना अरनोद में दी गयी लेकिन कार्यवाही न होने पर 30.6.20 को पुलिस अधीक्षक को भी रिपोर्ट दी गयी। कार्यवाही न होने पर प्रार्थना-पत्र पेश किया। 12.6.20 से बाद कब्जा जारी है।

प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और यदि अप्रार्थीगण को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से नहीं रोका गया तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताऊसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात पर मदाखलत मजाहमत न करे, अवैध कब्जा न ले एवं करे और न ही अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह ने जवाब पेश किया। पत्रावली पर बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का हवाला देते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी हमारी खातेदारी की है। अप्रार्थीगण बलपूर्वक हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर ताऊसला मूलवाद लिखित अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बर्ज दिया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता खातिया से जरिये इकरारनामा आ. नं. 122 रकबा 1.10 हैक्ट. को अपनी सुविधा के लिए अदला-बदली की तथा बाद में रजिस्ट्री करवाने के लिये कहा परन्तु मुकर गया क्यों कि आराजी की कीमत बढ़ गयी।

अतः प्रार्थना-पत्र को निरस्त फरमाया जावें।

मैंने पत्रावली पर संलग्न समस्त दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर फरमाया।

जमाबंदी सम्वत 2068-71 खाता सं. 13 में कृषक किशान पिता नाथु मीणा सा. देह तथा ना. स. 844 दि. 11.4.14 से रहन लेम्पस चकुण्डा के नाम दर्ज है। प्रार्थी के स्वयं के काबिज काश्त होने के सम्बन्ध में जमाबंदी जो कि प्रमाणित भी नहीं है के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इकरारनामे के अवलोकन से जाहिर है कि किशान लाल व खातु के बीच किस-किस आराजियात की अदला-बदली हुयी उसमें केवल किशान की आराजी सं. 122 रकबा 1.10 हैक्ट. का हवाला मात्र है। इकरारनामे पर केवल किशान व साक्षियों रामेश्वर व बाबुलाल के हस्ताक्षर अंकित है जबकि खातु के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,
(प्रता...)

उक्तानुसार विवेचना उपरान्त प्रार्थना-पत्र के गुणा-वगुण पर विचार करने के पश्चात उभय पक्षकारान को तारफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना लाजिमी प्रतीत होता है।

अतः अनुतोष उभयपक्ष स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मौके एवं रिकॉर्ड की यथा-स्थिति कायम रखे। एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करने से बाज आये।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,
पीठासीन अधिकारी

जिला-प्रतापगढ़ (राज.)